तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *राजस्व वाद संख्या : 108/2025* *अनवान गणपतलाल बनाम नारायणराम वगैरह* ***अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955***	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

6-5-26

पत्रावली आज पेश हुई है। वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 6 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर वादी द्वारा पेश वाद बाबत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर दोनो पक्षकारान् के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 6 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कथन किया है कि वादी द्वारा विवादित खसरों हेतु झुठे तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया, जबकि विवादित खसरान पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं व प्रतिवादी संख्या 6 से 7 के पिता के मध्य बंटवाड़ा होकर अलग–अलग खातेदारों के नाम से बटा नम्बर पड़ते हुए नामान्तरकरण जरिये बंटवाड़ा दायर किया गया। विवादित खसरों पूर्व में बंटवाड़ा हो चुका है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग काश्तकार के रूप में अपने अपने हिस्से पर काबिज है। जिसकी जानकारी वादी को होने के बावजूद भी उक्त वाद मय स्थगन प्रार्थना पत्र पुनः उसी खसरे को लेकर मेलाफाईड इन्टेंशन से पेश किया गया। इस प्रकार वादी द्वारा वाद में अपने आपको सह खातेदार बताये जाने के तथ्य झूठे होने एवं विवादित खसरों का पूर्व में बंटवाड़ा होने के कारण उक्त प्रकरण किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद विशेष हर्जे के खारिज किया जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 6 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का वादी अधिवक्ता को अनेक अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किये जाने से वादी का जवाब बंद किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 6 ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त खसरान का पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 से 7 व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं के पिता के मध्य बंटवाड़ा हो चुका है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अलग–अलग काश्तकार के रूप में अपने अपने हिस्से पर काबिज है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एकतरफा बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा वाद पेश कर ग्राम बाणियावास तहसील लूणी के खसरा नंबर 86, 222/1, 222/5, 222/7 व 222/8 कुल खसरा 5 रकबा 100 बीघा 19 बिस्वा भूमि के 1/3 भाग में से 1/5 हिस्सा एवं मूल खसरा नंबरों के बट्टा नंबर 222/8, 222/15, 222/12, 222/5, 86 में से 1/5 हिस्सा का वादीणगण अपने हक हिस्से की खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली में वादी द्वारा संवत 2050–2053 की जमाबंदी संलग्न की है जिसमें उक्त वादग्रस्त आराजियात नारायण आईदान सोहन पिता मानाराम के नाम प्रारंभ से दर्ज होना जाहिर है। अतः उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7 की सेपरेट (separate) संपत्ति होना जाहिर है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार जीवित पिता की सेपरेट (separate) संपत्ति पर पिता का पूर्ण अधिकार है और उसमें पुत्र को

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

पिता के जीवित रहते खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकार नहीं है। अंगाडी चंद्रन्ना बनाम शंकर (अप्रैल 2025) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार भी एक बेटे को अपने पिता की स्व–अर्जित संपत्ति पर स्वतः जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है, जिसका निपटान पिता स्वतंत्र रूप से कर सकता है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी में स्पष्ट उल्लेख है कि वाद में वादकारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने एवं वाद कानून द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

परिणामतः प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

हंसमुख कुमार आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी